कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।
मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पीन कोड–815316
email-dfo-giridiheast@gov.in, Phone No.-06532-222127

निलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के द्वारा दिनांक–07.09.2026 को अपराह्न 2.30 बजे गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल कार्यालय में आरा मिल संयंत्र (Scrap) की नीलामी की जानी है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों में आरा मिल संयंत्र (Scrap) आदि भंडारित है की जहाँ है जिस स्थिति में है का निरीक्षण किया जा सकता है। जो निम्नवत इस प्रकार है

क्र0सं0	वन प्रक्षेत्र का नाम	वन परिसर का नाम	लॉट न0	निलामी की तिथि	निलामी का समय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र	खुरचुट्टा वन परिसर	1	07.09.2026	2.30 अप0	
		गाण्डेय वन परिसर	2	07.09.2026	2.30 अप0	
2	गिरिडीह वन प्रक्षेत्र	प्रमंडलीय कार्यालय परिसर	3	07.09.2026	2.30 अप0	
		कठवारा वन परिसर	4	07.09.2026	2.30 अप0	
3	डुमरी वन प्रक्षेत्र	डुमरी वन परिसर	5	07.09.2026	2.30 अप0	
4	पारसनाथ वन प्रक्षेत्र	पारसनाथ वन परिसर	6	07.09.2026	2.30 अप0	
5	गावां वन प्रक्षेत्र	गावां वन प्रक्षेत्र परिसर	7	07.09.2026	2.30 अप0	
		गावां वन परिसर में मन्दिर के पास	8	07.09.2026	2.30 अप0	
		देवरी वन परिसर	9	07.09.2026	2.30 अप0	
		तिसरी वन परिसर	10	07.09.2026	2.30 अप0	

निलामी में सम्मिलित होने के लिए गेट मनी के रूप में 50000/–(पच्चास हजार रूपये) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के पदनाम से निर्गत एवं भारतीय स्टेट बैंक, गिरिडीह में भुगतेय हो समर्पित करना होगां

नीलामी में भाग लेने वाले निविदादाता को सूचित किया जाता है कि इससे संबंधित सभी अभिलेख (शर्त के अनुरूप) दिनांक–04.09.2026 तक गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा बाद में स्वीकार नहीं की जायगी। भंडारित आरा मिल संयंत्र (Scrap) आदि की कटिंग संबंधी व्यय क्रेता के द्वारा वहन की जायगी। अपरिहार्य कारणवश निलामी की निर्धारितं तिथि में परिवर्तन भी की जा सकती है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

11/08/26

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह, पीन कोड–815316

email-dfo-giridiheast@gov.in, Phone No.-06532-222127

निलामी की शर्ते

1. निलामी में वैसे व्यक्ति भाग लेंगे जिनका जी0एस0टी0 में निबंधन हो। विगत छः माह का जी0एस0टी0 रिटर्न हो।
2. विगत तीन वर्षों का आई0टी0आर0 रिटर्न हो तथा एक वित्तीय वर्ष में 1000000/– तक का turn over होना अनिवार्य है।
3. निलामी में गेट मनी के रूप में 50000/–(पचास हजार रूपये) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट (जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल के पदनाम से निर्गत एवं गिरिडीह में भुगतेय) पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 निबंधन की छाया प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात निलामी में भाग लेंगे।
4. सर्वोपरि बोली लगाने वाले व्यक्ति को निलामी में क्रय मूल्य का 20% राशि तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा। अवशेष राशि जो बैंकर्स चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे। जिसके संबंध में अलग से पत्र निर्गत कर सफल क्रेता को सूचना दी जायगी।
5. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी भी दिन प्रमण्डलीय कार्यालय परिसर, गिरिडीह, पारसनाथ, डुमरी, खुरचुट्टा, गावां, तिसरी एवं देवरी वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर में आरा मिल संयंत्र (Scrap) का लॉटों का अवलोकन कर सकते हैं।
6. आरा मिल संयंत्र (Scrap) के क्रय मूल्य के अतिरिक्त अन्य कर (CGST, SGST 18%) क्रेता द्वारा अलग से जमा कर संबंधित प्रमाण–पत्र प्रमण्डलीय कार्यालय, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल में जमा करेंगे।
7. निलामी में सर्वोपरी बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि तक शेष राशि जमा नहीं करने की स्थिति में पूर्व में जमा की गयी राशि को Forfeit कर लिया जायगा।
8. इस बिक्री से संबंधित कोई भी न्यायिक मामला झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकेगा।
9. निलामी की तिथि में परिवर्तन एवं रद्द करने की शक्ति वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल को होगा।
10. निलामी में क्रय किये गये आरा मिल संयंत्र को प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर निष्पादित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर आरा मिल संयंत्र (Scrap) के लिए निर्गत पत्र अमान्य होगा।
11. क्रय किये गये आरा मिल संयंत्रो (Scrap) उसी स्थान पर तीन जगहो से कटिंग कर जिसका वहन क्रेता के द्वारा किया जायगा एवं तौल धर्म–कॉंटा में संबंधित वनपाल/प्रभारी वनपाल/वनरक्षी की उपस्थिति में किया जायगा।
12. क्रय किये गये आरा मिल संयंत्र (Scrap) का वजन करने के पश्चात शेष राशि जमा करने के बाद ही क्रय किये गये आरा मिल संयंत्र (Scrap) को छोड़ा जायगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

11/08/24